



अक्टूबर 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **राजनीति और शासन**
 - प्रधानमंत्री इंटरनशपि योजना
 - प्रवासियों के लिये नागरिकता का प्रावधान
 - औद्योगिक अल्कोहल को वनियमिति करने के राज्यों के अधिकार
 - स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदकि रोगियों हेतु पोषण सहायता का दायरा बढ़ाया
 - प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना
- **अर्थव्यवस्था**
 - रेपो दर 6.5% पर अपरविरतति
 - सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिये योजना
 - तलिहन उत्पादन मशिन
 - PMGKAY के तहत मुफ्त फोर्टफाइड चावल की आपूर्ति
 - राष्ट्रीय वदियुत योजना (ट्रांसमशिन) अधिसूचति
- **वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी**
 - अंतरकृषि आधारति स्टार्टअप के लिये 1,000 करोड़ रुपए के वतितपोषण को मंजूरी

राजनीति और शासन

प्रधानमंत्री इंटरनशपि योजना

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने **प्रधानमंत्री इंटरनशपि योजना**, पायलट प्रोजेक्ट के लिये दशिया-नरिदेश जारी कयि।
- इस योजना की एक पायलट परयोजना 2024-25 के लिये शुरू की गई है जसिका लक्ष्य 1.25 लाख इंटरनशपि प्रदान करना है।
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
- कंपनियों के लिये मानदंड: इंटरनशपि की पेशकश के लिये, पछिले तीन वर्षों में **कॉरपोरेट सामाजकि उत्तरदायतिव (Corporate Social Responsibility- CSR)** पर उनके औसत व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों का चयन कयिा गया है।
- अन्य कंपनियों भी मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकती हैं।
 - इंटरनशपि की अवधि 12 महीने की होनी चाहयि।
 - इसका कम-से-कम आधा हसिसा वास्तवकि कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में खर्च कयिा जाना चाहयि।

प्रवासियों के लिये नागरिकता का प्रावधान

- 4:1 बहुमत से **सर्वोच्च न्यायालय** ने **नागरिकता अधनियम, 1955** के उस प्रावधान को बरकरार रखा, जसिमें बांग्लादेश से असम आने वाले प्रवासियों के लिये अलग नागरिकता मानदंड प्रदान कयिा गया था।

नरिणय की मुख्य वशिषताएँ:

- न्यायालय ने नरिणय दयिा कसिंसद को नागरिकता पर कोई भी कानून पारति करने का अधिकार है।
 - यह कृषमता संबंघति प्रावधान को कानून बनाने तक वसितारति है।
- न्यायालय ने यह भी नरिणय दयिा कअधनियम के अंतरगत असम के लिये अलग प्रावधान **समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14)** का उल्लंघन नहीं करता है।

- असम और शेष भारत को प्रवासियों के आगमन से असम में उत्पन्न अद्वितीय राजनीतिक स्थिति के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रावधान के तहत कट-ऑफ तथियाँ मनमानी नहीं हैं क्योंकि वे विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित हैं।

औद्योगिक अलकोहल को वनियमिति करने के राज्यों के अधिकार

- **सर्वोच्च न्यायालय** ने नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया तथा राज्यों के विकृत स्परिटि या औद्योगिक अलकोहल को वनियमिति करने के अधिकार को बरकरार रखा।
- न्यायालय ने कहा कि संविधान राज्यों को **मादक मदरिा को** कच्चे माल से लेकर उसके उपभोग तक वनियमिति करने का अधिकार देता है।
- इसने आगे कहा कि संसद मादक शराब के उद्योग पर नियंत्रण करने के लिये **कोई कानून नहीं** बना सकती।
- यह भी माना गया कि **सूची II के अंतर्गत मादक मदरिा के अंतर्गत** वह सभी मदरिा आती है जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकता है।
 - इसमें **शुद्धिकृत स्परिटि और औद्योगिक स्परिटि** (मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं) शामिल हैं, जिनका उपयोग पीने योग्य अलकोहल और अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक रोगियों हेतु पोषण सहायता का दायरा बढ़ाया

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में **नकिषय पोषण योजना** के वसितार की घोषणा की है।
- इस योजना का उद्देश्य TB के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिये TB रोगियों को **पोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करना** है।
 - प्रत्येक TB रोगी के लिये वित्तीय सहायता **500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह की जाएगी**।
- इस योजना के तहत कम वजन वाले TB रोगियों को उपचार के पहले दो महीनों के दौरान **ऊर्जा-सघन पोषण पूरक भी उपलब्ध** कराया जाएगा।
- **TB रोगियों के परिवार के सदस्यों को** भी पोषण संबंधी सहायता मिलेगी जिसका उद्देश्य उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना होगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री **सूर्य घर योजना** के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये दशिया-नरिदेश अधिसूचिा कयि।
- इस योजना का लक्ष्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हसिसेदारी बढ़ाना और आवासीय परिवारों को अपनी वदियुत् उत्पादन करने के लिये सक्षम बनाना है।
- योजना के तहत नई परियोजनाओं के लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित कयि गए हैं जसिसे रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजीज़ में प्रगत को प्रोत्साहति और बजिनेस मॉडल में नए प्रयोगों को वतित पोषति कयिा जा सके।
- यह योजना संयुक्त अनुसंधान के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहति **संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये खुली** है।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की अधिकतम अवधि **18 महीने** हो सकती है।
- चयनति परियोजनाओं को उनकी कुल लागत का **60%** या 30 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

अर्थव्यवस्था

रेपो दर 6.5% पर अपरविरतति

- **भारतीय रज़िर्व बैंक** की **मौद्रिक नीति समतिि (Monetary Policy Committee- MPC)** ने नीतगित रेपो दर को 6.5% पर अपरविरतति रखा।
- समतिि के अन्य नरिणयों में शामिल हैं:
 - **स्थायी जमा सुवधिा दर** को 6.25 % पर बरकरार रखा गया है।
 - सीमांत **स्थायी सुवधिा दर** और बैंक दर को 6.75% पर बरकरार रखा गया है।
 - MPC ने अपने पहले के अवमुद्रास्फीतिकारी रुख को बदलकर **तटस्थ रुख अपनाने का नरिणय** लयिा।
 - इसने वकिस को समर्थन देते हुए **मुद्रास्फीतिको** 4% के लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रति करने का नरिणय लयिा है।

सतत् कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिये योजना

- **केंद्रीय मंत्रमिंडल** ने कृषि एवं कसिान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी मौजूदा **केंद्र प्रायोजति योजनाओं को दो प्रमुख योजनाओं में तरकसंगत बनाने को मंजूरी दी**:
 - **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि वकिस योजना (Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana- PM-RKVY):** सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिये PM-RKVY को 57,075 करोड़ रुपए के परवियय के साथ कार्यान्वति कयिा जाएगा।
 - **कृषोन्तयोजना: कृषोन्तयोजना** का लक्ष्य 44,247 करोड़ रुपए के प्रस्तावति परवियय के साथ आत्मनरिभरता के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना होगा।

तलिहन उत्पादन मशिन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [राष्ट्रीय खाद्य तेल मशिन](#) – तलिहन (National Mission on Edible Oils – Oilseeds- NMEO-Oilseeds) को मंजूरी दे दी।
- मशिन को वर्ष 2024-25 से 2030-31 के बीच 10,103 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन के साथ कार्यान्वयित किया जाएगा।
- मशिन का लक्ष्य प्राथमिक तलिहन फसलों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 70 मिलियन टन करना है।
- इनमें रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तलि शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल उत्पादन 12 मिलियन टन होने का अनुमान है।

PMGKAY के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना](#) (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त [फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति](#) जारी रखने को मंजूरी दी।
- निःशुल्क आपूर्ति को जुलाई 2024 से बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है।
- चावल को सुदृढ़ बनाने में नमिचित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध चावल के दाने मलाना शामिल है।
- इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक [केंद्रीय क्षेत्र योजना](#) के रूप में कार्यान्वयित किया जाएगा।

राष्ट्रीय वदियुत योजना (ट्रांसमशिन) अधिसूचि

- [केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण](#) (Central Electricity Authority- CEA) ने 2022-32 के लिये [राष्ट्रीय वदियुत योजना](#) (National Electricity Plan- NEP) (खंड-II ट्रांसमशिन) को अधिसूचि किये।
- मई 2023 में CEA ने NEP (वॉल्यूम-I जनरेशन) को अधिसूचि किये था।
- वदियुत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत CEA को पाँच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय वदियुत योजना तैयार करना आवश्यक है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- वर्तमान क्षमता और लक्ष्य:** NEP में वर्ष 2022-32 (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) के दौरान 1,91,474 कमी. ट्रांसमशिन लाइनों को जोड़ने की योजना है।
- वर्ष 2017-22 के लिये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ:** योजना में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और वन मंजूरी मिलने में देरी जैसे कारणों से वर्ष 2017-2022 के लिये क्षमता वृद्धि का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।
- नवीकरणीय लक्ष्य:** योजना में कहा गया है कि 31 मई, 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित वदियुत उत्पादन क्षमता 193.5 गीगावाट थी।
 - NEP में वर्ष 2032 तक 613 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से संबद्ध ट्रांसमशिन प्रणाली स्थापित करने की योजना प्रदान की गई है।

वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप के लिये 1,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिये 1,000 करोड़ रुपए के [उद्यम पूंजी कोष](#) की स्थापना को मंजूरी दी।
- यह कोष भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre- INSPAC) द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
- यह कोष वर्ष 2025 से 2030 तक पाँच वर्ष की अवधि में 150-200 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि के साथ स्थापित किया जाएगा।
- इस फंड से लगभग 40 अंतरिक्ष-आधारित स्टार्टअप कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।